उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

संख्या-117/2019/04/19-27-सिं0-4-192(डब्ल्यू)/18

लखनऊः दिनांकः 23 अप्रैल, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री सुशील कुमार, सेवानिवृत्त, आई0ए0एस0 को अधिसूचना संख्या-168/2018/1720/18-27-सिं0-4-223 (डब्ल्यू)/2012, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा अध्यक्ष, उ0प्र0 जल प्रबन्धन और नियामक आयोग के पद पर नियुक्त किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 24-08-2018 को कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त पद पर पुनर्योजन होने से पूर्व श्री कुमार सेवानिवृत्ति के समय देय अन्तिम वेतन रू0 2,25,000/- के आधार पर रू0 1,12,500/- प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

2. अध्यक्ष, उ0प्र0 जल प्रबन्धन और नियामक आयोग के पद पर पुनर्योजन होने पर उ0प्र0 जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-7(4)(5) में निहित व्यवस्थान्तर्गत पुनर्योजन अवधि में श्री कुमार को निम्नानुसार वेतन व अन्य भत्ते अनुमन्य किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) अध्यक्ष, उ0प्र0 जल प्रबन्धन और नियामक आयोग के पद पर पुनर्योजन अवधि में उन्हें वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1443/दस-930/83, दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 एवं शासनादेश संख्या-सा-3-302/दस-2013-308/97टी0सी0, दिनांक 22.04.2013 के अनुसार वह वेतन प्राप्त होगा, जो उनके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन में उनकी शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की धनराशि घटाकर प्राप्त हो अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान का अधिकतम दोनों में से जो कम हो।

(2) पुनर्योजन की अवधि में उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन एवं शुद्ध पेंशन के योग पर मँहगाई भत्ता अनुमन्य होगा, परन्तु पेंशन पर पृथक से मँहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(3) पुनर्योजन की अवधि में श्री कुमार की प्रास्थिति अस्थायी कर्मचारी की होगी तथा पुनर्योजन की अवधि पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा नहीं होगी।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-जी-3-299/दस-2019, दिनांक 19 अप्रैल, 2019 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

टी0 वेंकटेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-117/2019/04(I)/19-27-सिं0-4, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्री सुशील कुमार, अध्यक्ष, उ0प्र0 जल प्रबन्धन और नियामक आयोग, वाल्मी भवन, उतरेठिया, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, पैक्ट, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/प्रबन्धक, वित्त, स्वारा, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, यूपीवामरेक को उनके पत्रांक-सी-28/यूपीवामरेक, दिनांक 10 जनवरी, 2019 के सन्दर्भ में।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमेश चन्द्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in